कन्डोलेन्स घर है। अतः पत्रावली साबिक
कार्यवाही हेतु दिनांक 9-6-22 को
पेश हों।

9-6-22	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। वास्ते जबाव सरकार पत्रावली दिनांक 5-7-22 को पेश हो।
5-7-22	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित। पेशकार सरकार अनु. जबाब दाखिल किया जाता है। कई दस्तावेज पेश किये ... किये गये। वास्ते निर्णय पत्रावली 13-7-22 को पेश हो।
13-7-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी ~~राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है।~~ अवकाश पर हैं अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स घर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 28-7-22 को पेश हों।
28-7-22	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित। आदेश सुनाया गया। वादी का वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उक्तानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
... (कृषि)

यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

11/दावा/2022
दायरा दिनांक 28.07.2021

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा(RAS)

बउनवान

1. मोहम्मद हुसैन आ. अलीमुद्दीन जाति मुसलमान निवासी लाखेरी तह. इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट व धारा 136 एल आर एक्ट।

उपस्थित :– 1.श्री सुरेश वर्मा एडवोकेट(वादी)।

–: निर्णय :– **दिनांक: :–28.07.2022**

वादीगण द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा सं0 842 रकबा 0.17 हैक्ट0,ख0सं0 843 रकबा 0.10 हैक्ट0 ख0सं0 844 रकबा 0.07 हैक्ट0, ख0सं0 849 रकबा 0.14 हैक्ट0, ख0सं0 851 रकबा 0.19 हैक्ट0, ख0सं0 852 रकबा 0.10 हैक्ट0 कुल किता 6 कुल रकबा 0. 77 हैक्ट0 एवं खाता संख्या 126 खं0सं0 831/925 रकबा 0.08 हैक्ट,ख0सं0 850 रकबा 0.69 हैक्ट0 वाके ग्राम कांकराडुगंर में स्थित है।वादी का वास्तविक नाम मोहम्मद हुसैन आ0 अलीमुद्दीन है लेकिन राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा बिना जांच पडताल के नाम मोहम्मद हुसैन के स्थान पर रहीमुद्दीन आ0

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

अलीमुद्दीन राजस्व रिकार्ड दर्ज कर दिया। जबकि वादी का सभी दस्तावेजों में वास्तविक नाम मोहम्मद हुसैन आ0 अलीमुद्दीन है राजस्व रिकोर्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से वचिंत होना पड रहा है और अन्त में निवेदन किया कि वादी का नाम राजस्व रिर्कोड में दुरूस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस वास्ते जवाब तलब किया गया वादी (प्रार्थी) द्वारा प्रशासन गावों के संग अभियान वर्ष 2021 के तहत अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट बाबत् नाम दुरूस्ती प्रार्थना–पत्र पेश किया गया था जिसके तहत मौके पर भू0अभि0निरी0 से रिर्पोट ली गई जिसकी प्रमाणित प्रति वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसको आधार मानते हुए वादी का वाद–पत्र आशिंक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद–पत्र आशिंक स्वीकार किया जाता है तथा वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 842 रकबा 0.17 हैक्ट0,ख0सं0 843 रकबा 0.10 हैक्ट0 ख0सं0 844 रकबा 0.07 हैक्ट0, ख0सं0 849 रकबा 0.14 हैक्ट0, ख0सं0 851 रकबा 0.19 हैक्ट0, ख0सं0 852 रकबा 0.10 हैक्ट0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.77 हैक्ट0 एवं खाता संख्या 126 ख0सं0 831/925 रकबा 0.08 हैक्ट,ख0सं0 850 रकबा 0.69 हैक्ट0 वाके ग्राम कांकराडुगंर में स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम रहीमुद्दीन आ0 अलीमुद्दीन को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर रहीमुद्दीन उर्फ मोहम्मद हुसैन आ0 अलीमुद्दीन को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तद्नानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

डिकी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

1. अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.............................. मुकाम..........................लाखेरी..................व इजलास..............श्री युगांतर शर्मा (आर. ए. एस.)...

1.मोहम्मद हुसैन आ0 अलीमुद्दीन जाति मुसलमान निवासी **बनाम.** 1राज0सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ
निवासी बालापुरा तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0 जिला बूंदी (राज0)

दावा बाबत 88,89 आर0 टी0 एक्ट व 136एल0आर0एक्ट...........

मुकदमा नम्बर..................................11/दावा/2022..सन...यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..हमरे..
......व हाजिरी

1.श्री सुरेश वर्मा एडवोकेट ....।मिनजानिब मुद्दइ..
....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादी का वाद–पत्र आशिंक स्वीकार किया जाता है तथा वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 842 रकबा 0.17 हैक्ट0,ख0सं0 843 रकबा 0.10 हैक्ट0 ख0सं0 844 रकबा 0.07 हैक्ट0, ख0सं0 849 रकबा 0.14 हैक्ट0, ख0सं0 851 रकबा 0.19 हैक्ट0, ख0सं0 852 रकबा 0.10 हैक्ट0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.77 हैक्ट0 एवं खाता संख्या 126 खं0सं0 831/925 रकबा 0.08 हैक्ट,ख0सं0 850 रकबा 0.69 हैक्ट0 वाके ग्राम कांकराडुगंर में स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम रहीमुद्दीन आ0 अलीमुद्दीन को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर रहीमुद्दीन उर्फ मोहम्मद हुसैन आ0 अलीमुद्दीन को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है

....निज..मुबलिग...बाबत..............
..........खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।
सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...28.......माह...........70.................... सन...2022.......................को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)